अनुदान संख्या 6 – रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
GRANT No. 6 - DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	199,65,00			
			399,65,00	339,86,11	-59,78,89
पूरक	Supplementary	200,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				59,67,76

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹5978.89 लाख) जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹20000.00 लाख के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹5978.89 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grants of ₹20000.00 lakhs obtained in July, 2018 and 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1990.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1990.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	15807.00			
पू.	S.	20000.00	32186.98	32186.49	-0.49
पु.	R.	-3620.02			

(I) ₹1990.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "पेट्रो–रसायन उद्योग (अन्य व्यय)" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(का) "प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान" – ₹590.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "पेट्रो – रसायन की नई स्कीम" – ₹1400.00 लाख – असम में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने के निर्धारित उपलब्धियों की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) "पेट्रो – रसायन उद्योग – अन्य व्यय" –

(क) "प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान" – ₹574.00 लाख की बचत (₹7774.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा वाली मशीनरी/उपकरण के वितरण में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "पेट्रो – रसायन की नई स्कीम" – ₹2250.00 लाख की बचत (₹4150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्कों द्वारा अपेक्षित उपलब्धियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "रसायन और औषध निर्माण उद्योग – रसायन और कीटनाशक" – "भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का प्रसंस्करण) अधिनियम, 1985" – ₹734.03 लाख की बचत (₹2832.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुग्रह राशि को प्राप्त करने के लिए दावेदारों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹1990.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552" - "Petro-Chemical Industries (Other Expenditure)" - under the following heads:-

(A) "Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET)" - ₹590.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "New Schemes of Petrochemicals" - ₹1400.00 lakhs - due to non-attainment of prescribed milestones by the plastic park being set up in Assam.

(II) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Petro-Chemical Industries - Other Expenditure" -

(a) "Central Institute of Plastic Engineering and Technology" - saving of ₹574.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7774.00 lakhs) was due to delay in delivery of tendered machinery/equipment.

(b) "New Schemes of Petrochemicals" - saving of ₹2250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4150.00 lakhs) was due to non-attainment of required milestones by the Plastic Parks in Odisha, MP and Tamil Nadu.

(B) "Chemical and Pharmaceutical Industries - Chemicals and Pesticides - Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" - saving of ₹734.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2832.00 lakhs) was due to less number of claimants for receiving ex-gratia payments.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹368.38 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of ₹368.38 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.